

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान सरकार के मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम 1996 के अन्तर्गत निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के पत्रांक शिविरा-प्रारं/साप्र/बी/2611/मूल/21 दिनांक 18-4-2022 द्वारा पत्रांक शिविरा-प्रारं/साप्र/बी/2611/मूल/21 दिनांक 23-3-2022 के क्रम में प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय स्तर पर अनुकम्पात्मक नियुक्ति हेतु प्राप्त प्रस्तावों हेतु इस कार्यालय को प्रेषित अनुमोदित सूची का राज्य सरकार के आदेश क्रमांक ए-5 (51) कार्मिक/क-2/88-1 दिनांक 29-4-99 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे अंकित सूची अनुसार कुल 16 अभ्यर्थियों का कनिष्ठ सहायक पद पर अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियमों के अन्तर्गत नियुक्ति हेतु अनुमोदन किया जाकर अभ्यर्थियों के नाम के सम्मुख अंकित जिलों में पदस्थापन हेतु जिला आवंटित किया जाता है।

नियुक्ति अधिकारी नियुक्ति आदेश जारी करने से पूर्व निम्न शर्तों की पालना सुनिश्चित करेंगे :-

1. राज्य सरकार के मृतक आश्रितों में से कनिष्ठ सहायक/सहायक कर्मचारी के पद पर नियुक्ति/पदस्थापन आदेश जारी करने से पूर्व आवेदकों की शैक्षिक/प्रशैक्षिक संबंधी योग्यता के मूल प्रमाण-पत्र प्राप्त कर उनकी वैधता एवं मान्यता आदि की पूर्ण जाँच करें एवं योग्यता के बारे में पात्रता रखने पर ही नियुक्ति आदेश जारी करें। राज्य से बाहर की डिग्रियों/प्रमाण पत्र के सत्यापन/वैधता एवं मान्यता के संबंध में सावधानी पूर्वक प्रत्येक प्रकरण की जाँच करेंगे।
2. मृत राज्य कर्मचारियों के परिवार का कोई भी सदस्य किसी सरकारी/केन्द्र/निगम बोर्ड या उपक्रम में कार्य ग्रहण तिथि तक नियोजित नहीं है इस हेतु अनुकम्पात्मक नियमों के नियम 5 के अनुसार शपथ पत्र आश्रित से प्राप्त करें। (मृतक की पत्नी पर यह नियम लागू नहीं होगा।)
3. मृतक की पुत्री की नियुक्ति हेतु अनुमोदन किया गया हो तो उसके पदस्थापन के समय तक वह अविवाहित है इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त करें।
4. कार्मिक विभाग के परिपत्र आदेश दिनांक 27.02.2001 द्वारा जारी निर्देशों की पालना में मृतक के आश्रितों के पालन, पोषण/भरण पोषण करने संबंधी शपथ पत्र प्राप्त करेंगे। कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 27.02.2001 की पालना नहीं करने की स्थिति में नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।
5. दत्तक पुत्र, पुत्रियों के संबंध में वैधता की जाँच हिन्दु दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 के प्रावधानानुसार करेंगे।
6. राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ-7(1) कार्मिक (क-2) (95) दिनांक 08.04.2003 के अनुसार दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक संतान होने की स्थिति में नियुक्ति के पात्र नहीं माने जावेंगे, किन्तु राज्य सरकार (डीओपी) के आदेश दिनांक 29.10.2005 के अनुसार विधवा की नियुक्ति में यह प्रावधान लागू नहीं होंगे।
7. संलग्न सूचियों में अंकित अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश राज्य सरकार के नोटिफिकेशन क्रमांक 7 (2) डीओपी/ए-11/06 दिनांक 20.01.2006 एवं वित्त (नियम डीविजन) विभाग के नोटिफिकेशन क्रमांक एफ 12 (6) एफ डी /रुल्स/06 दिनांक 13.03.06 के अनुसार प्रोबेशन ट्रेनीज के रूप में किया जा कर फिक्स रेमुनेरेशन पर नियुक्ति अनुमोदन की जाती है।
8. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशन ट्रेनीज) की अवधि में फिक्स रेमुनेरेशन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते यथा मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, मंहगाई वेतन (डीपी) विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होगा।
9. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशन ट्रेनीज) की अवधि में राज्य बीमा, सामान्य प्रावधायी निधि आदि की कटौती नहीं होगी।
10. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिये गणना योग्य नहीं माना जावेगा।
11. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में इन्हें कलेण्डर वर्ष में केवल 15 दिन का ही आकस्मिक अवकाश देय होगा। पूर्ण कलेण्डर वर्ष से कम अवधि होने पर पूर्ण माह के आधार पर आकस्मिक अवकाश अनुज्ञात किया जावेगा।
12. कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्त अभ्यर्थी राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 7(2) कार्मिक/ए-11/2006 दिनांक 05.07.2010 एवं कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 21.09.2010 के अनुसार शैक्षणिक योग्यता प्राप्त होना चाहिये तथा उक्त नियमों के अन्तर्गत कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 02.01.2017

Signature

य 04.05.2017 के अनुसार मृतक आश्रित को कम्प्यूटर कोर्स उत्तीर्ण करने की अर्हता नियुक्ति के पश्चात् दो वर्ष की अवधि में अर्जित करनी होगी। यदि उक्त अवधि में कम्प्यूटर योग्यता अर्जित नहीं करता है, तो जितनी विलम्ब अवधि से वह कम्प्यूटर योग्यता अर्जित करेगा उसका परिशिक्षाकाल उत्तनी ही अवधि का आगे बढ़ जायेगा। जिन प्रकरणों में शिक्षितन प्राप्त है तथा जो प्रकरण कार्मिक विभाग से जरिए आदेश इस विभाग को स्थानांतरित है, उनसे संबंधित आदेशों में दी गई शर्तों की पूर्ण अनुपालना नियुक्ति अधिकारी अपने स्तर पर सुनिश्चित करे।

13. कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्त अभ्यर्थी की टंकण परीक्षा अब कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 05/07/2010 एवं 02/01/2017 के अनुसार कम्प्यूटर से ली जायेगी जिसे आश्रित को नियुक्ति के तीन वर्ष की अवधि में उत्तीर्ण करनी अनिवार्य होगी, अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिये जायेंगे। इन्हे आगामी वतन वृद्धि टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् ही देय होगी। कार्मिक (क-2) विभाग राजस्थान, जयपुर की अधिसूचना दिनांक 07.09.2009 के अनुसार मृत राज्य कर्मचारी की विधवा को टंकण परीक्षा करने से छूट दी जायेगी।

14. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य निर्देशों की पालना भी सुनिश्चित करेंगे तथा नियुक्ति अधिकारी मृतक आश्रित के अच्छे आचरण का सत्यापन सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक से करवाने के पश्चात् ही आदेश जारी करेंगे।

15. राज्य सरकार की अधिसूचना एक-5(51)डीआपी/ए-11/88 पीटी जयपुर दिनांक 08.04.2015 के अनुसार नियम-5 में हुए संशोधन की पालना सुनिश्चित करें।

16. मृतक प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित है अतः प्रथम प्राथमिकता प्रारंभिक शिक्षा के रिक्त पद पर ही दी जायेगी। रिक्त पद न होने पर जिरता शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा से अनपसित प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही माध्यमिक शिक्षा में नियुक्ति आदेश जारी किये जा सकेंगे।

17. माध्यमिक शिक्षा सेटअप में स्वीकृत स्टाफिंग पेटर्न के अनुसार ही पदस्थापन किया जाये।

18. कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 5 (51) कार्मिक/क-2/88 पार्ट जयपुर दिनांक 05.2016 के अनुसार आवेदक विधिवित है तो उसकी पत्नी/पुत्र/अविवाहित पुत्री यदि पूर्व से ही (नियम-5 में यथा परिभाषित) नियोजित है, को मृतक कर्मचारी पर पूर्णतया आश्रित न होने के कारण, नियम-2(ग) के तहत जहाँ शिक्षा की श्रेणी में नहीं माना जायेगा। फलतः ऐसे पुत्र को अनुक्रमानुसार नियुक्ति देय नहीं होगी।

19. जिन अभ्यर्थियों की न्यूनतम आय सीमा 18 वर्ष पूर्ण नहीं हुई है उन्हें ऐसे पद पर नियुक्ति प्रदान की जावे जिस पर किसी प्रतिभूति की आवश्यकता नहीं हो।

20. राज्य सरकार के आदेशानुसार धुप्रभन नहीं करने तथा दर्जन नहीं लेने के सम्बन्ध में आवेदक से नियमानुसार शुल्क-पत्र प्राप्त करें। जिन अभ्यर्थियों के प्रकरण में मृतक/आवेदक के नाम/उपनाम में विसंगति होने पर नियमानुसार यथेष्ट भाषा में शपथ पत्र लेवे।

- 21. जिन प्रकरणों में कार्मिक विभाग/शासन से शिक्षितन प्राप्त है, उन प्रकरणों में प्राप्त शिक्षितन में निहित शर्तों की अनुपालना की जावे।

22. जिन प्रकरणों में शिक्षितन प्रदान किया गया है एवं जो अन्य विभाग के होने के कारण कार्मिक विभाग से प्राप्त हुए हैं उसमें शिक्षितन आदेश में वर्णित शर्तों एवं कार्मिक विभाग से प्राप्त होने वाले प्रकरणों में कार्मिक विभाग के पत्र में वर्णित शर्तों की अनुपालना होने पर ही नियुक्ति आदेश जारी करें। इस हेतु नियुक्ति आदेश जारीकर्ता स्वयं जिम्मेदार होंगे।

23. विधवा आवेदक के प्रकरणों में यदि पति की जाति जोड़कर आवेदन किया गया है तो नियुक्ति अधिकारी नियुक्ति आदेश जारी करने से पूर्व अपने स्तर पर नाम विसंगति के सदर्थ में पूर्ण पुष्टि करते हुए पुष्टि होने पर ही नियुक्ति आदेश जारी करें तथा विवाहित आवेदक के संबंध में नियम-5 का जिरिश का प्रमाण पत्र, आवेदक का शपथ पत्र एवं आवेदक की पत्नी का नियम-5 का शपथ पत्र प्राप्त करें। अविवाहित आवेदक के सदर्थ में वैवाहिक स्थिति का अद्यतन शपथ पत्र प्राप्त कर नियुक्ति आदेश जारी करें। यदि वैवाहिक स्थिति में अंतर है तो आवेदक को आश्रितों के संबंध में नियम-5 के समस्त दस्तावेज (आवेदक व आवेदक की पत्नी का शपथ पत्र, आवेदक के आश्रित परिवार के संबंध में जिरिश का प्रमाण पत्र) प्राप्त होने के उपरांत ही नियुक्ति आदेश जारी करें।

24. आवेदक की जन्मतिथि के संबंध में नियुक्ति अधिकारी अपने स्तर पर प्रथमतः शैक्षणिक योग्यता/टीसी (सक्षम स्तर से प्रमाणित) एवं केवल, आवेदक के विद्यालय प्रवेश नहीं होने की स्थिति में नियमानुसार सक्षम स्तर से जारी जन्म प्रमाण पत्र से पुष्टि करने के उपरांत ही नियुक्ति आदेश जारी करें।

राज्य के विभाग में कनिष्ठ सहायक/सहायक कर्मचारी के लिए जिला शिक्षा अधिकारी नियुक्ति अधिकारी है, अतः उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करते हुए पदस्थापन आदेश 15 दिवस के भीतर जारी कर पदस्थापन आदेश 02 प्रतियों में इस कार्यालय को आवश्यक रूप से भिजवाएँ एवं आदेश की प्रति नोटिस बोर्ड पर चरमा करेसे ।

उक्त आदेश जारी कर दो प्रतियाँ उच्च शासन सचिव शिक्षा (पुन-2) विभाग, राज0 जयपुर, एक प्रति उच्च शासन सचिव कार्मिक (क-2) विभाग, शासन सचिवालय, राज0 जयपुर को एवं इस कार्यालय को भी भिजवाना सुनिश्चित करे ।

(रिश्तार पारिश्रमिक 14,600/- रूपये मासिक)

क्र. सं.	आवेदक का नाम एवं जन्मतिथि	पुतक से सम्बन्ध	आवेदन दिनांक एवं आवेदित पद	पुतक का नाम व पदनाम	जिले का नाम	विभाग	अवस्थित जिला
1	श्री लाल शंकर पलत, 05.04.1997	पुत्र	23.06.2021 कनिष्ठ सहायक	स्व. श्री शान्ति लाल पलत, सहायक कर्मचारी,	झुंगरपुर	प्राशि	झुंगरपुर
2	श्री नीलकण्ठनाथ रावल 30.12.94	पुत्र	23.06.2021 कनिष्ठ सहायक	स्व. श्री रविन्द्र नाथ रावल, सहायक कर्मचारी,	बांसवाड़ा	प. राज	बांसवाड़ा
3	श्री नरेन्द्र सिंह 15.04.2001	पुत्र	02.06.2021 कनिष्ठ सहायक	स्व. श्री रूप सिंह, प्रबंधक,	राजसमन्द	प. राज	राजसमन्द
4	श्री विजयपाल पारगी 24.03.1993	पुत्र	21.10.2021 कनिष्ठ सहायक	स्व. श्री रमेश चन्द्र पारगी, वरिष्ठ अध्यापक,	दासवाड़ा	प. राज	दासवाड़ा
5	श्री राहुल बुनकर 19.11.1996	पुत्र	05.04.2021 कनिष्ठ सहायक	स्व. श्री रमपाल बुनकर, अध्यापक,	प्रतापगढ़	प. राज	बांसवाड़ा
6	श्री भावेश सोत 17.06.2002	पुत्र	05.03.2021 कनिष्ठ सहायक	स्व. श्री नानजी सोत, अध्यापक,	झुंगरपुर	प. राज	झुंगरपुर
7	कुमारी राखी 19.06.1990	पत्नी	22.06.2021 कनिष्ठ सहायक	स्व. श्री कमल सिंह, अध्यापक,	राजसमन्द	प. राज	झौलपुर
8	श्री प्रियांगु अहारी 11.03.2001	पुत्र	26.03.2019 कनिष्ठ सहायक	स्व. श्री रमण लाल अहारी, अध्यापक,	उदयपुर	प्राशि	उदयपुर
9	श्री कमलेश कुमार गारसिया 01.12.1995	पुत्र	04.09.2020 कनिष्ठ सहायक	स्व. श्री भानुलाल गारसिया, प्रबंधक	उदयपुर	प. राज	उदयपुर
10	श्री दश बैरवा 19.01.2002	पुत्र	29.12.2020 कनिष्ठ सहायक	स्व. श्री बाबरपाल, वरिष्ठ अध्यापक,	प्रतापगढ़	प्राशि	प्रतापगढ़
11	श्री नरपत सिंह चुण्डावत 05.10.1989	पुत्र	06.12.2021 कनिष्ठ सहायक	स्व. श्री गोकुल सिंह, सहायक कर्मचारी,	भीलवाड़ा	प्राशि	भीलवाड़ा

12	श्रीमती कुमारी जाट	पत्नी	19.06.2021 कनिष्ठ सहायक	स्व. श्री परमेश्वर लाल जाट, शारिरीक शिक्षक,	भीलवाड़ा	प्राशि	भीलवाड़ा
13	सुश्री नीरज 15.07.1997	पुत्री	10.06.2021 कनिष्ठ सहायक	स्व. श्री लक्ष्मन सिंह, कनिष्ठ सहायक,	धौलपुर	प्राशि	भरतपुर
14	श्री प्रशान्त अरोड़ा 01.12.2002	पुत्र	19.01.2019 कनिष्ठ सहायक	स्व. श्री सोहन लाल अरोड़ा, प्रबोधक,	श्रीगंगानगर	प. राज	श्रीगंगानगर
15	श्री ओमप्रकाश गाडगी, 07.07.1997	पुत्र	24.04.2021 कनिष्ठ सहायक	स्व. श्री हरिलाल गायरी, प्रबोधक	उदयपुर	प. राज	उदयपुर
16	श्री यशपाल सिंह 19.02.1988	पुत्र	18.02.2021 कनिष्ठ सहायक	स्व. श्री धर्मवीर सिंह, अध्यापक	दौसा	प. राज	भरतपुर

नोट:-कम संख्या 05, 10 एवं 16 पर अधिकत प्रकरणों में शासन से शिथिलन प्राप्त है।

(गौरव अग्रवाल)

निदेशक
L.A.S.

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांक : शिविर-माध्यम / साप्र / ए-4 / 3901 / नियुक्तिमूल / प्राशि / 2022 / 212-215 दिनांक : 23-5-2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा, पुस्तकालय, पंचायतीराज (प्रारम्भिक शिक्षा) एवं संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
4. संयुक्त शासन सचिव, प्रथम शिक्षा (गुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर
5. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर
6. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर को देकर अनुरोध है कि उपरोक्त अभ्यर्थियों के मूल प्रकरण नाम के समक्ष अधिकतम जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) मुख्यालय को उपलब्ध करावें।
7. समस्त संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा,
8. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) मुख्यालय को निर्देशित किया जाता है कि आदेश में वर्णित समस्त निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करता हुए रियत पद के अनुसार नियुक्ति आदेश जारी करवाकर पालना सुनिश्चित करावें।
9. स्टाफ आफिसर, निजी अनुभाग (निदेशक)
10. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग
11. रक्षित पत्रावली

उप निदेशक (प्रशासन)

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर